संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
राजभाषा विभाग, सचिवालय,
दमण

सं.रा.भा. 4(1)/सांविधिक कार्य/भाग-II/2010-12/128 दिनांक : 07/08/2012

पढ़ें :- भारत सरकार, गृह मंत्रालय,राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त अधिसूचना सं. 1/14034/02/2010-रा.भा. (नीति-I),दिनांक 04 मई, 2011

अ धि सू च ना

उपर्युक्त उद्देशिका में उल्लिखित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त अधिसूचना सं. 1/14034/02/2010-रा.भा. (नीति-I), दिनांक 04 मई, 2011 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा-3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 2011 है ।
   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-2 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :-

" (छ) " क्षेत्र " ख से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं । "

प्रशासक, दमण एवं दीव तथा दादरा
नगर हवेली के आदेश एवं नामानुसार

(बी. पी. सिंह)
उप-सचिव (राजभाषा)

सेवा में,

1. माननीय प्रशसक की स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण ।
2. विकास आयुक्त की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
3. सचिव (वित्त), की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
4. प्रबंध निदेशक, ओ.आई.डी.सी., एवं सचिव (राजभाषा), दमण ।
5. शिक्षा सचिव की वैयक्तिक सहायक, सचिवालय, दमण ।
6. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण / दीव ।
7. पुलिस महा-निरीक्षक, की वैयक्तिक सहायक, पुलिस विभाग, दमण ।
8. मुख्य वन संरक्षक की वैयक्तिक सहायक, वन विभाग, दमण ।
9. उप-निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिन्दी अनुभाग, कमरा सं. 302, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001.
10. उप-निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, केन्द्रीय सदन, कमरा सं. 601, ए-सेक्टर-10, छठा तल, सीबी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई – 400 614.
11. सहायक निदेशक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, समाहर्तालय,स दीव ।
12. सरकारी मुद्रणालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशशित कराने के अनुरोध सहित ।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय, दमण को राजभाषा विभाग, दमण की वेबसाइट में उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध सहित ।
14. कार्यालय प्रति / गार्ड फाइल ।